(45)

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
संचिका संख्याः–10 / Article 275(1)–विविध पत्र–10 / 2021 - 212

प्रेषक,

अत्यन्त महत्वपूर्ण

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी परियोजना निदेशक, ITDA
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 02/02/2022

विषयः–"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना" के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–2729, दिनांक–03.11.2021 एवं
विभागीय संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगाधीन संकल्प एवं माग–दर्शन के आलोक में यह कहना है कि **"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना"** राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के स्वारोजगार को बढ़ावा देने हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में कतिपय जिलों से अभी भी कई भ्रमक तथ्य की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है। ताकि इसकी कार्यान्वयन में किसी प्रकार की संदेह की स्थिति न रहेः–

1. **संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 में क्रियान्वयन के बिन्दु–**
   (i) कंडिका–4 एवं कंडिका–5 में रोजगार सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में जारी संकल्प संख्या–3601, दिनांक–30.10.2019 के प्रावधानों का उल्लेख है, जिसे विभागीय संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है।
   (ii) संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 की कंडिका–6 से कंडिका–12 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुरूप **"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना"** कार्यान्वयन किया जाना है।
2. **गारंटर के प्रावधान**– संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 की कंडिका–6 के अनुरूप निम्नानुसार गारंटर के प्रावधान है–
   (i) **ऋण की सीमा 50,000/– रूपये तक गारंटर की आवश्यकता नहीं है।**
   (ii) ऋण की सीमा 50,001/– रूपये से 25,00,000/– रूपये तक **केवल एक गारंटर की आवश्यकता है** जो निम्न हो सकते हैं–
   - सरकारी/अर्द्ध सरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी की कर्मी जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हुई हो।

   अथवा

   सम्पन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकर दाता हो और इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करता हो।
   - वाहन ऋण के मामल में संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 की कंडिका–7 के आलोक में **दृष्टिबंधक (Hypothecation) ही ऋण की गारंटी के रूप में मान्य होगा।**

- केवल अल्पसंख्यक मामले में ऋण राशि के समतुल्य विक्रयशील चल/अचल समपित्त भी गारंटी के रूप में प्राप्त की जा सकती है।

3. संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 की कंडिका–10 के उप कंडिका–IX के अलोक में मारजिन मनी का प्रावधान निम्नानुसार है–
   - 50,000/– रूपये तक कोई मारजिन मनी जमा नहीं करना होगा।
   - 50,001/– रूपये से अधिक सभी ऋण राशि में स्वीकृत ऋण राशि का 10% मारजिन मनी के रूप में आवेदक को वहन करना होगा।
4. संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 की कंडिका–6 के स्तंभ–2 एवं उप कंडिका–III के अलोक में ऋण अनुदान का प्रावधान निम्नानुसार है–
   (i) ऋण की सीमा 50,000/– रूपये से लेकर 25,00,000/– रूपये तक ऋण अनुदान 40% की दर से जो न्यूनतम 20,000/– रूपये से लेकर अधिकतम 5,00,000/– रूपये तक देय होगा। यह अनुदान उन्हीं मामलों में देय नहीं होगा जिनमें लाभुक द्वारा ऋण राशि विरूद्ध तीन लगातार माह का EMI भुगतान नहीं कर सकेंगे।
5. संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 की कंडिका–7 के आलोक में वाहन ऋण के संबंध में आवेदक यदि वाहन का परिचालन स्वयं करेगा, तो स्वयं का यदि किसी अन्य चालक के माध्यम से परिचालन कराएगा तो संबंधित चालक का ड्रायविंग लाईसेंस संलग्न करना होगा।
6. ऋण के स्वीकृति एवं वितरण में किसी प्रकार के कदाचार एवं अनावश्यक लाभुक को परेशान किए जाने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए यदि शिकायत प्राप्त होती है तो उसपर त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

02/10/2022

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।
राँची, दिनांक– 02/02/2022

ज्ञापांक– 212

प्रतिलिपि:–आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/10/2022

सरकार के सचिव।